

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 2 3 9 2 3 -29

दिनांक :- 09.11.2015

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(6) वित्त/नियम/96 दिनांक 24.05.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक को (मध्याह्न पश्चात्) राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नं०	मेरिट नं.	नाम स.ले.अ. ग्रेड-11	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	615	230/83	श्री भुवनेश्वर दयाल	-	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर	14.03.1956	31.03.2016

यहाँ यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 2 3 9 2 3 -29

दिनांक :- 09.11.2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग, जयपुर ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. श्री भुवनेश्वर दयाल, स.ले.अ. ग्रेड-11, कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11) ।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय ।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल ।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)